न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 07/2020-21

अंजनी कुमार वर्मा पिता श्री लाला रामचन्द्र वर्मा – अपीलकर्त्ता
ग्राम–हिनु, थाना–डोरण्डा, जिला–राँची।

बनाम्

अंचल अधिकारी, कर्रा। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
09.11.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1016R27/19-20 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.20 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:– मौजा: लोधमा; थाना/थाना नं0: कर्रा 162; खाता नं0: 13; प्लॉट नं0: 874; रकबा(एकड़ में): 0.98 अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–लोधमा, थाना–कर्रा के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.98 एकड़ है जिसे श्री श्यामबाबु साव पिता स्व0 रामगोविन्द साव ग्राम–अपर बाजार रांची से विक्रय पट्टा सं0 693/684 दिनांक 29.08.09 से क्रय की गयी है। वर्णित जमीन खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी लक्ष्मी नाथ कोटवार पिता स्व0 खुदीराम कोटवार ने दिनांक 26. 10.61 को मौजा लोधमा के अन्दर खाता नं0 13, प्लॉट नं0 874, सबप्लॉट नं0 874/बी रकबा 1.92 एकड़ मधे रकबा 0.98 एकड़ भूखण्ड को श्री राम गोविन्द साव पिता स्व0 हीरा साव साकिन अपर बाजार, रांची के हाथ बिक्री कर दिया जिसका दस्तावेज संख्या 6045 सिरीयल नं0 6557 वर्ष 1961 है। उपरोक्त वर्णित जमीन को क्रय करने के उपरांत विक्रेता के पिता राम गोविन्द साव शांति पूर्वक दखलकार चले आये और उनके स्वर्गवास के बाद उनका एक मात्र उत्तराधिकारी पुत्र विक्रेता श्याम बाबु साव को स्वतः पूर्ण अधिकारी वो स्वामित्व प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी से खाता नं0 13, प्लॉट नं0 874, रकबा 0.98 एकड भूमि का क्रय	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
लोधमा	कर्रा 162	13	874	0.98

विक्रेता के पिता रामगोविन्द साव पिता स्व0 हीरा साव के द्वारा की गयी थी परन्तु विक्रेता के पिता के नाम से पंजी 2 में जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की न्यायालय सबजज–1, खूँटी के न्यायालय में पार्टिशन सुट वाद सं0 56/81 दायर किया गया था जिसमें दिनांक 25.07.2005 को अंतिम आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा दिनांक 13.03.2007 को सभी उत्तराधिकारियों को दखल दिलाया गया जो इजराय वाद सं0 10/2005 में दिनांक 13.04.2007 को पारित आदेश से स्पष्ट है। भोलानाथ सिंह का जमाबंदी कायम कर दिया गया परन्तु लक्ष्मीनाथ सिंह अत्यंत गरीब होने के दाखिल खारिज नहीं करा पाये। अंत में अधिवक्ता द्वारा लक्ष्मीनाथ सिंह का जमाबंदी कायम करते हुए आवेदक को दाखिल खारिज स्वीकृत करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् पर्याप्त आधार पाते हुए अपील स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, कर्रा को आदेश दिया जाता है कि पूर्व उत्तराधिकारी का जमाबंदी कायम करते हुए अपीलकर्त्ता अंजनी कुमार वर्मा पिता श्री लाला राम चन्द्र वर्मा के नाम दाखिल खारिज करते हुए पंजी–II में आवश्यक सुधार कर सरकारी रसीद निर्गत करें।

लेखापित एवं संषोधित

09/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

09/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।